संख्या– 402/XVIII(II)/2021–03(29)/2020

प्रेषक,

सुशील कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चमोली।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 17 ~~अप्रैल,~~ मई 2021

विषयः–जनपद चमोली के तहसील जोशीमठ अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–07 (पुराना एन0एच0–58) के किमी0 468.350 (हेलंग) से किमी0 480.950 (जोशीमठ) तक सड़क विस्तारीकरण/चौड़ीकरण हेतु ग्राम सेलंग की कुल–0.348 है0 राज्य सरकार के स्वामित्व की भूमि आवंटन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–655/छब्बीस–04 (2020–2021) गोपेश्वर, दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 तथा पत्र संख्या–4587/छब्बीस–04(2020–2021) गोपेश्वर, दिनांक 18 मार्च, 2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद चमोली के तहसील जोशीमठ अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–07 (पुराना एन0एच0–58) के किमी0 468.350 (हेलंग) से किमी0 480.950 (जोशीमठ) तक सड़क विस्तारीकरण/चौड़ीकरण हेतु ग्राम सेलंग की ख0खा0सं0–13 के खसरा संख्या–1990 रकबा 0.28 है0 भूमि मध्ये 0.016 है0, खसरा संख्या–2377 रकबा 7.323 है0 भूमि मध्ये 0.026 है0, खसरा संख्या–2381 रकबा 6.408 है0 भूमि मध्ये 0.046 है0, खसरा संख्या–2456 रकबा 0.461 है0 भूमि मध्ये 0.034 है0, खसरा संख्या–2586 रकबा 0.160 है0 मध्ये 0.009 है0, खसरा संख्या–2671 रकबा 0.226 है0 भूमि मध्ये 0.020 है0 कुल 0.151 है0 भूमि, जोकि नॉन0ज्येड0ए0 श्रेणी–9(3) ड. अन्य बंजर भूमि के रूप में दर्ज अभिलेख है एवं ख0खा0सं0–22 के खसरा संख्या–2596 रकबा 0.290 है0 भूमि मध्ये 0.036 है0, खसरा संख्या–2676 रकबा 6.555 है0 भूमि मध्ये 0.161 है0 कुल 0.197 है0 भूमि, जोकि नॉन0 ज्येड0ए0 श्रेणी 10(4) अन्य कारणों से अकृषिक भूमि के रूप में दर्ज अभिलेख है अर्थात कुल 0.348 है0 भूमि को राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण करने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।

2– उक्त सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद चमोली के तहसील जोशीमठ अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–07 (पुराना एन0एच0–58) के किमी0 468.350 (हेलंग) से किमी0 480.950 (जोशीमठ) तक सड़क विस्तारीकरण/चौड़ीकरण हेतु ग्राम सेलंग की ख0खा0सं0–13 के खसरा संख्या–1990 रकबा 0.28 है0 भूमि मध्ये 0.016 है0, खसरा संख्या–2377 रकबा 7.323 है0 भूमि मध्ये 0.026 है0, खसरा संख्या–2381 रकबा 6.408 है0 भूमि मध्ये 0.046 है0, खसरा संख्या–2456 रकबा 0.461 है0 भूमि मध्ये 0.034 है0, खसरा संख्या–2586 रकबा 0.160 है0 मध्ये 0.009 है0, खसरा संख्या–2671 रकबा 0.226

...2

है0 भूमि मध्ये 0.020 है0 कुल 0.151 है0 भूमि, जोकि नॉन0ज्येड0ए0 श्रेणी–9(3) ड. अन्य बंजर भूमि के रूप में दर्ज अभिलेख है एवं ख0खा0सं0–22 के खसरा संख्या–2596 रकबा 0.290 है0 भूमि मध्ये 0.036 है0, खसरा संख्या–2676 रकबा 6.555 है0 भूमि मध्ये 0.161 है0 कुल 0.197 है0 भूमि, जोकि नॉन0 ज्येड0ए0 श्रेणी 10(4) अन्य कारणों से अकृषिक भूमि के रूप में दर्ज अभिलेख है अर्थात कुल 0.348 है0 भूमि शासनादेश सं0–258/16(1)/73–राजस्व–1, दिनांक 09–05–1984 एवं यथासंशोधित शासनादेश संख्या–1695/97–1–1(60)/93–280–रा0–1,दिनांक–12–09–1997 तथा शासनादेश संख्या–496/XVIII(II)/2020–08(63)/2016, दिनांक 28 जुलाई, 2020 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत भारत सरकार के विभागों से भूमि की कीमत वर्तमान प्रचलित बाजार दर से निकाले गये भूमि के मूल्य एवं उक्त भूमि की कीमत के अतिरिक्त मालगुजारी के 150 गुने के बराबर की कुल धनराशि रू0 25,59,538.00 (पच्चीस लाख उनसठ हजार पॉच सौ अड़तीस रू0 मात्र) एकमुश्त जमा किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदया राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार के पक्ष में पट्टे पर निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सःशुल्क आवंटन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी। जिलाधिकारी पहले इसे सुनिश्चित करेंगें। तद्नुसार वन विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही पट्टा निष्पादन की कार्यवाही करेंगे।

2– प्रश्नगत नॉन जेड0ए0 भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू–सुधार अधिनियम की धारा–132 एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3– चूंकि जिलाधिकारी द्वारा संबंधित शासनादेश दि0–9.5.1984 के अधीन निर्धारित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्राविधानों का अनुपालन अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

4– इस संबंध में सिविल अपील संख्या–1132/2011 (एस0एल0पी0)/(सी) संख्या–3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5– प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत दी गयी है।

6– प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

7– प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नहीं रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

8– यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

...3

9– भू–उपयोगिता व पट्टे में इंगित शर्तों के क्रम में शासन/ जिलाधिकारी/अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है।

10– संस्था द्वारा शासनादेशानुसार नजराने एवं मालगुजारी की जमा करायी गई धनराशि की प्राप्ति रसीद/चालान की प्रति तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

11– आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या–01 से 10 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

कृपया इस सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों की अनुपालन स्थिति से भी अनिवार्य रूप से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
सचिव।

संख्या–402/XVIII(II)/2021 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3– कमाण्डर, 21 बी0आर0टी0एफ0, मारवाड़ी, जोशीमठ।
4– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कृष्ण सिंह)
संयुक्त सचिव।